न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर

पीठासीन अधिकारी:—श्री मूलचन्द लूणियां (आर.ए.एस.)

दावा संख्या:— 26 / 20

दिनांक:—21.09.2020

1. मोहनलाल पुत्र किरोड़ीमल
2. परमाराम पुत्र किरोड़ीमल
3. भंवरी देवी पुत्री किरोड़ीमल
4. गंगादेवी पत्नी किरोड़ीमल समस्त जाति मेघवाल निवासी ग्राम रूकनसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

...........वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार महोदय रामगढ–शेखावाटी जिला सीकर।

...............प्रतिवादी

वाद बाबत संशोधन खाता

उपस्थिति अधिवक्ता:—श्री दिनेश नागौरा(वादीगण की ओर से)

—:निर्णय:—

वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि ग्राम रूकनसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी में तीन किता काश्त भूमियां खसरा नम्बर 177 / 1 रकबा 1.091 है. खसरा नम्बर 176 / 3 रकबा 1.34 है. खसरा नम्बर 119 / 4 रकबा 2.1650 है. स्थित है। वादीगण के पिता व पति किरोडीमल का देहान्त 16.01.2020 को ग्राम रूकनसर में हो गया था। वादीगण के पिता व पति किरोड़ीमल अपने जीवनकाल में बचपन से ही किरोड़ीमल के नाम से जाने पहचाने जाते थे, तथा समाज के गांव के व आस पडोस के व रिश्तेदार आदि सभी में वादीगण के पिता व पति को किरोडीमल के नाम से ही जानते थे। वादीगण के पिता व पति अपने समस्त सरकारी अर्द्धसरकारी व गैर सरकारी कागजात में आरम्भ से ही अपना नाम किरोड़ीमल पुत्र गणपतराम अंकित करवाते रहें तथा उनकी मार्कसीट, आधार कार्ड, बैंक पास–बुक आदि किरोडीमल के नाम से ही बने हुए है। वादीगण के पिता व पति ने कभी भी अपने नाम किरोडीमल के अलावा अन्य किसी नाम से कभी किसी भी कार्यालय में उपयोग नही किया तथा ना ही कभी अपने नाम के आगे उर्फ लगाया। लेकिन वादीगण के पूर्वज गणपतराजी के देहान्त के पश्चात उनके विधिक वारीसान का नाम राजस्व अभिलेखो में अंकित हुआ लेकिन तात्कालीन सरपंच आदि ने सहवन से प्रश्नगत आराजीयात का खातेदारी में नामान्तरकरण दर्ज करते समय गणपतरामजी के विधिक वारीसान में वादीगण के पिता व पति किरोड़ीमल जो कि गणपतरामजी के चौथे नम्बर के पुत्र थे का नाम किरोड़ीमल की जगह कुरड़ाराम दर्ज कर नामान्तरकरण दिनांक 22.04.1977 को भर दिया जबकि वादीगण के पिता व पति का नाम आरम्भ से ही किरोडीमल था।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस कदर डिकी फरमाया जावे कि वादपत्र काश्त भूमियां खसरा नम्बर 177 / 1 रकबा 1.091 है. खसरा नम्बर 176 / 3 रकबा 1.34 है. खसरा नम्बर 119 / 4 रकबा 2.1650 है. वाके ग्राम रूकनसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी की खातेदारी में कुरडाराम की जगह किरोडीमल अंकित कर उक्त संशोधन किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नो[illegible] किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार रामगढ़ ने रिपो[illegible] के समर्थन में खसरा नम्बर 119 / 4, 177 / 1, 176 / 3 की वर्तमान नकल [illegible]बंदी सम्वत 2074—77,

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.12.28 17:26:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नकल जमाबंदी सम्वत् 2033–36 जिसमें गणपतराम के फौत होने पर वादीगण के पति व पिता का नाम कुरडाराम दर्ज हुआ है, नामान्तरकरण संख्या 209, मिलान क्षेत्रफल, वादी के पिता व पति के आर.एन.रूईया हाई स्कूल द्वारा किरोडीमल के नाम से जारी प्रमाण पत्र वर्ष 1962–63, 1963–64 व 1964–65, आधार कार्ड, बैंक ऑफ बडौदा की पास बुक, मृत्यु प्रमाण पत्र, वादी संख्या 01 का आधार कार्ड, पास–पोर्ट, वादी संख्या 4 का आधार कार्ड, बैंक पास–बुक, वादी संख्या 02 की 10 वीं 12 वीं कक्षा की अंकतालिका, जाति प्रमाण पत्र, मूलनिवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, क्रिडा प्रतियोगिता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, पास–पोर्ट तथा ग्राम पंचायत ताखलसर का प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात पेश किये जिस सभी में वादीगण के पिता व पति का नाम किरोडीमल ही दर्ज है। वादीगण ने साक्ष्यवादी के रूप में पी.डब्ल्यू–1 परमाराम व पी.डब्ल्यू–2 रामस्वरूप के शपथ पत्र पेश किये जिसमें उन्होने वादीगण के पिता व पति का नाम किरोडीमल ही होना स्वीकार किया है। तथा वाद का डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि खसरा नम्बर 177/1 रकबा 1.091 है. खसरा नम्बर 176/3 रकबा 1.34 है. खसरा नम्बर 119/4 रकबा 2.1650 है. वाके ग्राम रूकनसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी की खातेदारी में कुरडाराम की जगह किरोडीमल अंकित कर उक्त संशोधन किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदीयों से जाहिर होता है कि वादीगण के पिता व पति प्रश्नगत आराजियात में रिकॉर्डेड है। वादीगण के पति व पिता के शैक्षिक दस्तावेजात यथा मार्कसीट व प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास–बुक, बचत खाता पास–बुक, मृत्यु प्रमाण पत्र में किरोडीमल पुत्र गणपतराम ही दर्ज है। वादीगण के स्वयं के समस्त लोक दस्तावेजात में भी वादीगण के पिता व पति का नाम किरोडीमल ही दर्ज है।

पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट से भी जाहिर होता है कि वादीगण के पिता व पति को गांव में बोलचाल की भाषा में कुरडाराम ही पुकारते थे, जिससे राजस्व रिकॉर्ड में भी कुरडाराम ही दर्ज हो गया जबकि उनके समस्त लोक दस्तावेजात में उसका सही नाम किरोडीमल ही अंकित है।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पंचायत समिति फतेहपुर के प्रमाण पत्र के अनुसार भी कुरडाराम पुत्र गणपतराम व किरोड़ीमल पुत्र गणपतराम एक ही व्यक्ति के नाम है अर्थात् उक्त दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर कुरडाराम पुत्र गणपतराम के स्थान पर किरोड़ीमल पुत्र गणपतराम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 177/1 रकबा 1.091 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 176/3 रकबा 1.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 119/4 रकबा 2.1650 हैक्टेयर वाके ग्राम रूकनसर तहसील रामगढ़ शेखावाटी में अंकित कुरड़ाराम पुत्र गणपतराम के स्थान पर किरोड़ीमल पुत्र गणपतराम दर्ज करने की आज्ञा दी जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 21.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी, सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.12.28 17:26:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner